फर्द अहकाम

नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

प्रेमकुमार बनाम मोहनलाल आदि

किस्म मुकदमा : 88, आरटीए मुकदमा नम्बर 104/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
20.06.2024	आज यह वाद जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.07.2024 को पेश हो। [signature] 20/6/24
3/7/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 10/7/24 को पेश हो। [signature]
10/7/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दिनांक 16/7/24 को पेश हो। [signature]
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी व प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने पेश किया, जिसे [illegible] नहीं होना स्वीकार किया। राजीनामा [illegible] किया जाता। पत्रावली में प्रतिवादी 5 की ओर से जवाब पेश किया जाता। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 26/7/24 को पेश हो। [signature] 16-07-24

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 104 / 2024

अनवान : –

1. प्रेमकुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुराबास त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
2. डिम्पल पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
3. उल्का पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
4. कमलेश पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुनिल बैनीवाल वादी
श्री विजेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 182 / 167 के मु0न0 65 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 66 के किला न0 1, 2, 3, 6 ता 12, 13 / 1, 13 / 2, 14, 16 / 1, 17, 18 / 1, 18 / 4, 19 ता 23, 24 / 1, मु0न0 67 के किला न0 1 / 3, 3 / 1 मु0न 68 के किला न0 5 / 1 की कुल 4.9310है0 बारानी खातेदारी ... के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद ... वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है ... अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल ... करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी ... यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही जा चक 8 बारानी के खाता सं0 182/167 के मु0न0 65 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 66 किला न0 1, 2, 3, 8 ता 12, 13/1, 13/2, 14, 16/1, 17, 18/1, 18/4, 19 ता 23, 4/1, मु0न0 67 के किला न0 1/3, 3/1 मु0न 68 के किला न0 5/1 की कुल 4.9310है0 ारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा ाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी की आपसी रजामंदी व राजीनामा के आधार पर वाद भूमि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 182/167 के मु0न0 66 के किला न0 1, 2, 3, 10 प्रत्येक की 0.253है0 एवं किला न0 9 की 0.2207है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमती प्रकट की है प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 182/167 के मु0न0 65 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 66 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 12, 13/1, 13/2, 14, 16/1, 17, 18/1, 18/4, 19 ता 23, 24/1, मु0न0 67 के किला न0 1/3, 3/1 मु0न 68 के किला न0 5/1 की कुल 4.9310है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में को मु0न0 66 के किला न0 1–2–3–10 प्रत्येक की 0.253है0 एवं किला इस प्रकार कुल 1.2327है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम यथावत् रखी जावें। जमाबंदी खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मे0न0 – 104/2024

नवान : –

1. प्रेमकुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुराबास त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
2. डिम्पल पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
3. उल्का पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
4. कमलेश पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विजेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 182/167 के मु0न0 65 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 66 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 12, 13/1, 13/2, 14, 16/1, 17, 18/1, 18/4, 19 ता 23, 24/1, मु0न0 67 के किला न0 1/3, 3/1 मु0न 68 के किला न0 5/[illegible] की कुल 4.9310है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] में [illegible] प्रेमकुमार को मु0न0 66 के किला न0 1–2–3–10 प्रत्येक की 0.253है0 एवं किला [illegible] है0 इस प्रकार कुल 1.2327है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] एवं शेष वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम यथावत् रखी जावें। जमाबंदी में [illegible] मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत [illegible]सार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:21 IST
Reason: SelfAttested

23-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner